(वाद संख्या–1109/19)

16.12.2019

परिवादी, रंजन कुमार, कार्यालय सहायक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, बीजु बिगहा शाखा, जिला–नवादा उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना व परिवाद–पत्र पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना के महाप्रबंधक के प्रतिवेदन तथा उक्त प्रतिवेदन पर परिवादी के प्रत्युत्तर का अवलोकन किया।

परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद, कार्यालय परिसर में दो महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न करने, अपने उच्च अधिकारियों का आदेश नहीं मानने व अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन पर निर्णय नहीं लेने के संबंध में दाखिल किया गया है।

परिवादी का कथन है कि उसकी ओर से उपरोक्त तीनों विषयों पर माननीय पटना उच्च न्यायालय में क्रमशः तीन रिट याचिकाएं (CWJC N0.- 24300/2018, CWJC N0.- 24289/2018 तथा CWJC N0.- 7940/2019½ दाखिल किया गया है, जो वर्तमान में सुनवाई हेतु लंबित है। दूसरी ओर महाप्रबंधक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा परिवादी के विरूद्ध की गयी विभागीय कार्रवाई को नियम संगत, पक्षपात रहित बताया गया है तथा उनका कथन है कि प्रसंगाधीन प्रकरण बैंकिंग से संबंधित है जो भारत के संविधान के लिस्ट–1 का विषय है। उनकी ओर से भी आयोग को सूचित किया गया कि परिवादी की ओर से आयोग के समक्ष दाखिल याचिका में उल्लिखित तथ्य से संबंधित समान विषय को लेकर माननीय पटना उच्च न्यायालय में तीन अलग–अलग रिट याचिकाएं दाखिल की गयी है जो वर्तमान में लंबित है।

अब, जबकि समान विषय को लेकर परिवादी की ओर से माननीय पटना उच्च न्यायालय में तीन अलग–अलग रिट याचिकाएं दाखिल की गयी है तो ऐसी स्थिति में आयोग के स्तर पर परिवादी के समान विषय से संबंधित आवेदन पर विचार किया जाना उचित नहीं होगा। परिवादी माननीय उच्च न्यायालय से विधिनुसार अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त के आलोक में प्रस्तुत मामले को बंद किया जाता है। तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>